

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग - 2

॥ विधाई तथा अन्य मामलों से सम्बंधित सामान्य जानकारी ॥
सोमवार, 01 जनवरी, 1996 / पौष 11, 1917 ॥शक्र॥

संख्या. 233

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस,
संसद मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक: 22.12.1995 को निम्नलिखित संसूचना
दिनांक: 28.12.1995 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय
सदस्य सवत्री मुरारी सिंह पन्वार को आज अर्थात् दि. 22.12.95
को अपराहन 2.00 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली
से पुलिस के विधि सम्पत् निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण
पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के उन्तर्गत नज़रबंद
किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दि. 22.12.1995 को अपराहन
2.25 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग नई दिल्ली से रिहा
कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव.

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, January 01, 1996/Pausa 11, 1917 (Saka)

No. 233

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following wireless message dated 22.12.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 23.12.1995 :-

"I have the honour to inform you that Shri Murari Singh Panwar, Hon'ble Member of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1400 hours today i.e. 22.12.95.

He was released at 1425 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 22.12.95."

P.N. GUPTA
SECRETARY